


राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	487 <u>2020</u>	बाबूलाल सुमान हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	--------------------	---	--

12/11/21

पञ्जावली प्रस्तुत हुई। आर्द्य-उत्पादन उपर
 आर्द्य-रेम्पो द्वारा माननीय राजस्व मण्डल
 के आदेश दिनांक 25/3/21 की प्रमाणित
 प्रतिलिपी प्रस्तुत कर निवेदन किया
 गया कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा
 कृषि मन्त्रालय द्वारा पारित आदेश
 को अज्ञात करते हुये प्रकरण विचारण
 मन्त्रालय को निस्तारण किये जाने हेतु
 प्रतिरोधित कर दिया गया है, जिससे यह
 धारा 225 राजस्वान काश्तकारी कृषिनिपम
 के तहत प्रस्तुत कृषि जल सारहीन
 हो गयी है। अतः स्थायित्व करमाहिदाबे।
 इस सन्दर्भ में माननीय राजस्व मण्डल
 के आदेश दिनांक 25/3/21 के अवलोकन
 से यह स्पष्ट है कि कृषि मन्त्रालय द्वारा
 प्रस्तुत धारा 225 काश्तकारी की यह
 कृषि जल आधारहीन व कृषिहीन
 हो गयी है। अतः कृषि जल संधारणीय
 नहीं होने से स्थायित्व की जाती है।
 तदनुसार पञ्जावली फैसल सुमार
 होकर वास तबमील दाखिल दफ्तर
 है। आदेश खुले मन्त्रालय में
 सुनाया गया।



Jain

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर